-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 06.04.2024

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

- **लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत अवैध शस्त्रों का निर्माण, संग्रहण व बिक्री करने वाले अभियुक्तों पर बांदा पुलिस द्वारा की गई बड़ी कार्यवाही।**
- **थाना अतर्रा व एसओजी की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा अवैध शस्त्र निर्माण फैक्ट्री का किया गया भंडाफोड़। भारी मात्रा में निर्मित व अर्धनिर्मित तमंचे, कारतूस व शस्त्र बनाने के उपकरण किए गए बरामद। 02 अभियुक्तों को पुलिस द्वारा किया गया गिरफ्तार। गिरफ्तार अभियुक्त संजय पूर्व में भी अवैध शस्त्र निर्माण फैक्ट्र संचालन में जा चुका है जेल।**
- **अभियुक्तों द्वारा लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत किया जा रहा था अवैध शस्त्रों का बड़े पैमाने पर निर्माण। निर्मित अवैध शस्त्रों की 05 से 06 हजार रुपये प्रति तमंचा बांदा व उसके आस-पास के जनपदो में बिक्री की थी तैयारी।**

विवरण- पुलिस अधीक्षक बांदा श्री अंकुर अग्रवाल के कुशल निर्देशन में जनपद में लोकसभा चुनाव को सकुशल सम्पन्न कराये जाने तथा लोकसभा चुनाव को प्रतिकूल रुप से प्रभावित कर सकने वाले अराजक तत्वों की विरुद्ध की जा रही कठोर कार्यवाही के क्रम में थाना अतर्रा व एसओजी की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा अवैध शस्त्र निर्माण फैक्ट्री का भंड़ाफोड़ करते हुए भारी मात्रा में निर्मित व अर्धनिर्मित अवैध शस्त्रों के साथ 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया। गौरतलब हो कि दिनांक 05.04.2024 की देर रात अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण लगाये जाने हेतु पुलिस टीम भ्रमणशील थी इसी दौरान जरिए मुखबिर सूचना मिली की गोखिया गांव के पास बड़ी नहर के किनारे हार में कुछ व्यक्तियों द्वारा भारी मात्रा में अवैध शस्त्रों का निर्माण किया जा रहा है। सूचना पर पुलिस टीम द्वारा छापेमारी कर गोखिया हार ननकी भाऊ आडार के पास से 02 अभियुक्तों को अवैध शस्त्रों का निर्माण करते हुए हुए गिरफ्तार कर लिया गया। अभियुक्तों के कब्जे भारी मात्रा में निर्मित/अर्धनिर्मित तमंचे, राइफल, बन्दूक, कारतूत व शस्त्र बनाने के उपकरण बरामद हुए हैं। अभियुक्तों द्वारा लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत भारी मात्रा में अवैध शस्त्रों का निर्माण किया जा रहा था तथा निर्मित अवैध शस्त्रों की बांदा व उसके आस-पास के जनपदों में बिक्री की तैयारी में थे। पुलिस द्वारा गिरोह का पर्दाफाश करते हुए लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत एक बड़ी कार्यवाही की गई है।

बरामदगी-

- 09 अवैध देशी तमंचा 315 बोर
- 06 अवैध देशी तमंचा 12 बोर
- 01 अवैध देशी रायफल 315 बोर
- 01 अवैध देशी बन्दूक 12 बोर
- 06 अवैध जिन्दा कारतूस 315 बोर
- 10 अवैध खोखा कारतूस 315 बोर
- 01 अर्द्धनिर्मित अवैध तमंचा 12 बोर
- 05 नाल पाइप लोहा
- धौंकनी, छेनी, नोहाई, हथौड़ी, सुम्मी, छेनी बड़ी/छोटी, प्लास, ब्लेड तथा भारी मात्रा में शस्त्र बनाने के उपकरण

नोट- कुल 17 निर्मित व 01 अर्द्धनिर्मित अवैध तमंचा/रायफल/बन्दूक, 06 जिन्दा कारतूस, 10 अदद् खोखा कारतूस, 05 नाल पाइप लोहा व भारी मात्रा में शस्त्र बनाने के उपकरण ।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. संजय पुत्र शिवराम कोरी निवासी तिन्दवारा थाना कोतवाली नगर जनपद बांदा ।
2. विजय बहादुर पुत्र मइयादीन राजपूत निवासी तिन्दवारा थाना कोतवाली नगर जनपद बांदा ।

पंजीकृत अभियोग-

- मु0अ0सं0 75/24 धारा 3/5/25 आर्म्स एक्ट थाना अतर्रा जनपद बांदा

आपराधिक इतिहास अभियुक्त संजय कोरी उपरोक्त-

1. मु0अ0सं0 729/15 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली नगर जनपद बांदा
2. मु0अ0सं0 730/15 धारा 5/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली नगर जनपद बांदा
3. मु0अ0सं0 289/18 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली नगर जनपद बांदा
4. मु0अ0सं0 290/18 धारा 5/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली नगर जनपद बांदा
5. मु0अ0सं0 23/19 धारा 5380 भा0द0वि0 थाना कोतवाली नगर जनपद बांदा
6. मु0अ0सं0 101/22 धारा 5/25 आर्म्स एक्ट थाना गिरवं जनपद बांदा
7. मु0अ0सं0 102/22 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना गिरवां जनपद बांदा
8. मु0अ0सं0 438/22 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली नगर जनपद बांदा
9. मु0अ0सं0 814/23 धारा 147/323/427/504/506 भा0द0वि0 थाना कोतवाली नगर जनपद बांदा

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

1. प्र0नि0 कोतवाली अतर्रा श्री पंकज कुमार सिंह
2. प्रभारी एसओजी श्री अनिल कुमार साहू
3. चौकी प्रभारी कस्बा अतर्रा श्री कृष्णदेव त्रिपाठी
4. रि0उ0नि0 प्रशान्त कुमार त्यागी
5. हे0कां0 विश्वबीर यादव
6. हे0कां0 संदीप कुमार यादव
7. हे0कां0 अश्वनी प्रताप सिंह
8. कां0 ललित यादव
9. कां0 कृष्णकान्त
10. कां0 अखिलेश पाण्डेय
11. कां0 निरंजन राय
12. कां0 मनीष कुमार मिश्रा
13. कां0 आशीष शर्मा
14. कां0 कमल सिंह सेंगर
15. कां0 अमित कुशवाहा
16. कां0 प्रतीक यादव
17. कां0 अमित त्रिपाठी
18. कां0 सूर्यांशू श्रोतिय